

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल गुप्ता, आई.ए.एस

अपील संख्या: 39/2017 एल.आर.एक्ट

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक (तक) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सी-38, सार्दुलगंज, बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुखाराम पुत्र थानाराम जाति गुरड़ा निवासी नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत ।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, बीकानेर ।
4. सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर ।

.....रेस्पॉन्डेंट्स

- उपस्थित:
- 1- श्री गुलाबचन्द मारु अभिभाषक अपीलान्ट ।
 - 2- श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट सं01
 - 3- श्री राजाराम सोनी, रेस्पॉ 3 की ओर से ।
 - 4- श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 18.12.17

1. यह द्वितीय अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील सं0 4/2017 अनवान सुखाराम बनाम स्टेट वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.3.17 जिसके द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति इन्तकाल सं0 498 दिनांक 16.1.09 अपीलान्टान की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 तादादी 3.10 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पॉन्डेंट सं0 1 के नाम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 की 22 बीघा टी.सी. से पुख्ता आवंटन की बारांनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित हो रहा था । राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के परिपत्र सं0प.6 (3)राज/6/86/3 दिनांक 5-2-96 के पैरा सं0 3 में लिये गये निर्णयानुसार सा.नि.वि. द्वारा संधारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि.विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा । राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र की पालना हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्रांक 2165-2175 दिनांक 7-4-2006, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 15 (बीकानेर से जैसलमेर) की भूमि का नामान्तरकरण भारत सरकार के नाम दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा पटवारी हल्का के निमित्त पत्रांक ओके/08/4229 दिनांक 19.11.08 जारी कर सहायक आयुक्त


उपनिवेशन कोलायत द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार रिकॉर्ड में अंकन कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 की 3.10 बीघा भूमि का पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत कर दिया गया। उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत सं01 द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16-1-09 के विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट सं01 सुखाराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रथम अपील सं0 4/2017 अनवान सुखाराम वनाम स्टेट वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 14.3.17 द्वारा सुखाराम की अपील स्वीकार कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति इन्तकाल सं0 498 दिनांक 16.1.09 अपीलान्त की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नं0 343/2/2 की 3.10 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्त सुखाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। उपखण्ड न्यायालय कोलायत के उक्त निर्णय दिनांक 14.3.17 के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दिनांक 5.5.17 को यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेंट की तलबी की गयी एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। अपील में उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है।
4. अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में बताया रेस्पॉन्डेंट सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 के आदेश दिनांक 19.11.08 व राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 को अपास्त कराने हेतु दो आदेशों की एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में आरआरडी 1983 पृष्ठ 811 अवलोकनीय बताया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉन्डेंट सं01 सुखाराम द्वारा धारा 75 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498/16.1.09 के विरुद्ध प्रथम अपील 8 वर्ष बाद पेश की गयी है। रेस्पॉन्डेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में बताया कि पटवारी हल्का से जानकारी तब हुई, जब उसके द्वारा दिनांक 8-9-16 को कब्जा छोड़ने हेतु कहा गया। रेस्पॉन्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है, जिससे कथन सत्य साबित हो सके, जैसा कि आरआरडी 1990 पेज 545(ए) में अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अलावा जानकारी के दिन 8-9-16 से प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2.3.17 को अपीलान्त द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने पर प्रति रेस्पॉन्डेंट अभिभाषक को दिलाई जाकर तारीख पेशी 9-3-17 निर्धारित की गयी। किन्तु दिनांक 9.3.17 को मियाद विन्दु तय किये बिना मैरिट बहस सुनी जाकर दिनांक 14.3.17 को अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिये था। अतः उक्त आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को मैरिट पर सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 14-3-17 को अपील का गुणावगुण पर ही निस्तारण कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है।
5. अभिभाषक अपीलान्त ने आगे अपनी बहस बताया कि रेस्पॉन्डेंट सं0 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश की गयी है। जबकि आरआरडी 1987 पेज 97 एवं पेज 106 के अनुसार नामान्तरकरण एक फिरकल प्रक्रिया है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते हैं। भूमि का मालिक राज्य सरकार होने से राज्य सरकार द्वारा जब चाहे

भूमि अवाप्त की जा सकती है। कार्रवाही को अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में केवल मात्र कम्पनरेशन प्राप्त करने का ही अधिकार होता है। रैस्पॉन्डेंट सं01 सुखाराम द्वारा प्रथम अपील में भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं की गयी है। अतः यदि रैस्पॉन्डेंट सं01 की कृषि भूमि यदि इन्तकाल सं0 498 से प्रभावित होती है या अवाप्त की गयी है तो सक्षम सिविल न्यायालय में मुआवजा की मांग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2013 (2) पेज 1054 DBHC अवलोकनीय बताया। इन्तकाल सं0 498 के अनुसार रैस्पॉन्डेंट सं01 सुखाराम के नाम ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 में तादादी 22 बीघा टीसी से पुख्ता आवंटन की बारागी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बताई गयी है। जिसमें से राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 15 वर्ष 1972 से कायम है जबकि अपीलान्ट को बाद में टीसी से पुख्ता आवंटन हुआ है। आवंटन अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग, वन विभाग की संरक्षित भूमि को छोड़ते हुए सुखाराम को आवंटन करना चाहिये था। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी भूमि को रैस्पॉन्डेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा भी यदि रैस्पॉन्डेंट की कोई कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के नाम अवाप्ति इन्तकाल सं. 498 दिनांक 16.1.09 से प्रभावित होती है तो सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर मुआवजे के जरिये रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण में राज्य सरकार के आदेशानुसार पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अवाप्ति का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।


6. प्रकरण में अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट सं0 1 की ओर अपनी बहस में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए 8 वर्ष विलम्ब के लिए मियाद विन्दु पर सुनवाई के पश्चात क्षमा प्रदान कर अपील को मियाद में शुमार कर गुणावगुण पर निर्णीत की गयी है, जो नियमानुसार है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट द्वारा नजीर आर.एल.डब्ल्यू 2014 (1) पेज 1 एवम आरआरडी 2006 पेज 397 अवलोकनीय बताते हुए निवेदन किया कि मियाद विन्दु पर प्रस्तुत रुलिंग के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की फाइण्डिंग को यथावत रखा जावे।

7. अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट सं0 1 ने आगे अपनी बहस में बताया कि राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र सं0प.3(6)राज-6/86/3 जयपुर दिनांक 5.2.1998 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संघारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेख में राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि.विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण/नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय द्वारा कोई निजी भूमि अवाप्त की जाती है अथवा राजकीय भूमि आवंटित करायी जाती है तो उसके लिए नियमानुसार कीमत वसूल की जायेगी। इस परिपत्र के लिए वित्त विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 730 दिनांक 17.10.95 से प्राप्त कर ली गयी है और यह आदेश सा.नि. विभाग से भी पुष्ट है। उपरोक्त परिपत्र की विवेचना किये बिना ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 की तादादी 3.10 बीघा भूमि पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया, जबकि परिपत्र की पालना में मुतनाजा भूमि अवाप्त की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि वितरण के पश्चात ही भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरित की जा सकती थी। प्रकरण में बिना अवाप्ति प्रक्रिया अपनाये रैस्पॉन्डेंट की भूमि सीधे ही अपीलान्ट के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दी गयी, जो


समाप्ति
01.01.20


नियमानुसार गलत है। जहां तक क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न है, जब आराजी मुतनाजा भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्त किये जाने का कोई आदेश अथवा परिपत्र अथवा राजपत्र अथवा नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया तो प्रकरण सिविल न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.1 द्वारा पटवारी हल्का के नाम आदेश दिनांक 19.11.08 पारित कर नामान्तरकरण 498 दिनांक 16.1.09 सीधे ही राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार के नाम दर्ज किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध नियमानुसार एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। नामान्तरकरण अपने आप में आदेश नहीं है, अतः रेस्पॉन्डेंट-1 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.1 आदेश दिनांक 19.11.08 की पालना में किये गये नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उपखण्ड अधिकारी कोलायत को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.12.15 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं 0 1,2,3 में सम्मिलित राजस्व तहसील कोलायत के क्षेत्र सहित कलेक्टर की समस्त कृत्यों का पालन करने हेतु शक्तियां प्रदत्त है। ग्राम नोखड़ा उपनिवेशन तहसील कोलायत में था, जो डिनोटिफिकेशन के बाद राजस्व तहसील कोलायत में आया है। उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा प्रथम अपील में सही एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः द्वितीय अपील अपीलान्त निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.17 यथावत रखा जावे।

8. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि राजस्व अभिलेख में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अंकन नहीं होने से राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी है। वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी भूमि को रेस्पॉन्डेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है। रेस्पॉन्डेंट की कोई कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के नाम इन्तकाल सं. 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत होने के पश्चात और यदि कोई भूमि केन्द्र सरकार द्वारा अवाप्त की जाकर गजट में प्रकाशन होता है तो उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर मुआवजे के जरिये रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य है।
9. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 5.2.96 की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा पोत परिवहन-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 के विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट सुखाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8 वर्ष पश्चात दिनांक 3.2.17 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें स्वयं अपीलान्त ने अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 को पटवारी हल्का से होनी बताई गयी है। प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड की ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 2.3.17 को धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपील में प्रथमतः मियाद बिन्दु तय किये बिना बहस सुनी जाकर दिनांक 14.3.17 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि उक्त अपील 8 वर्ष मियाद बाहर थी और अपीलान्त द्वारा धारा-5 मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 से भी प्रथम अपील 68 दिवस मियाद बाहर थी, जिसका कोई पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण अभिभाषक


 न्यायिक आयुक्त
 कोलायत


रेस्पॉन्डेंट द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के लिए प्रतिदिन का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। विलम्ब के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय प्रकरण के गुणावगुण को नहीं देखा जाना चाहिये तथा विलम्ब अपशमन के लिए पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण पेश नहीं किये गये हैं तो अपील विलम्ब के आधार पर खारिज करदी जानी चाहिये। इस प्रकार प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर संधारण योग्य नहीं थी।

10. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.17 पारित करने में मुख्य आधार यह लिया गया है कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा बिना भूमि अवाप्ति के ही अपीलान्त की विवादित भूमि सड़क एवं पोत परिवहन विभाग भारत सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.11.08 जारी कर पालना में इन्तकाल सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।
11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय में लिया गया उक्त आधार स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय राज मार्ग बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व ग्रेवल सड़क थी तथा सड़क के पास वन विभाग की संरक्षित भूमि है। राजस्थान सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5.8.78 के द्वारा राजमार्ग के दोनों ओर स्थित वृक्षों को संरक्षित वन क्षेत्र माना गया है। वन विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करवाई गयी है। प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट की विवादित भूमि वर्ष 1972 से पूर्व ही ग्रेवल सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग व राजमार्ग के पास संरक्षित वन क्षेत्र में हस्तान्तरित हो चुकी है, किन्तु पूर्व में हस्तान्तरित हुई भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग जयपुर के परिपत्र संख्या प.6 (3)राज/6/86/3 दिनांक 5.2.96 के पैरा सं03 में लिये गये निर्णय पालना में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पॉन्डेंट सुखाराम खातेदार काश्तकार नहीं होकर टी.सी. से पुख्ता आवंटनी है। टी.सी आवंटन एक वर्ष के लिए होता है तथा लगातार कब्जा काश्त होने पर ही उस भूमि का टी.सी से पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। रेस्पॉन्डेंट सं01 सुखाराम को ग्राम नोखड़ा के खसरा नं. 343/2/2 में तादादी 22 बीघा भूमि दिनांक टी.सी. से पुख्ता आवंटित की गयी है। जबकि राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 15 आवंटन के पूर्व वर्ष 1972 से कायम था, ऐसी स्थिति में सुखाराम को टी.सी. पर लगातार कब्जा काश्त होनी सम्भव नहीं है, क्योंकि विवादित 3.10 बीघा भूमि पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग में हस्तान्तरित हो चुकी थी। इसलिए सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की 3.10 बीघा भूमि को आराजी राज मानकर रेस्पॉन्डेंट सुखाराम को टी.सी से पुख्ता गलत रूप से आवंटन किया गया है, जबकि मौके पर उक्त आराजी राज भूमि पूर्व में ही सड़क के अन्तर्गत आ चुकी थी। प्रकरण में राज्य सरकार के अदेशानुसार उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार ग्राम नोखड़ा के खसरा नं. 343/2/2 की तादादी 3.10 बीघा विवादित भूमि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से दर्ज कर नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है। राज्य की ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण व नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और कोई निजी भूमि अवाप्त कर यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन कर केन्द्रीय सरकार में निहित की जाती है तो वह नियमानुसार मुआवजा पाने के लिए सक्षम अधिकारी के यहां चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है।


समाधीन आयुक्त
कोलायत

12. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड न्यायालय कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.17 को अपास्त किया जाता है तथा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं पालना में ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 343/2/2 तादादी 3.10 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 यथावत रखा जाता है ।

13. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अनिल गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर